



भा. कृ .अनु . प - .केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान संस्थान
ICAR - Central Sheep and Wool Research Institute
Avikanagar, Malpura, Rajasthan - 304501
Tel. Nos. +91-1437-220162 / 220 164 FAX: +91-1437-220163
Email: director.cswri@icar.gov.in, cao.cswri@icar.gov.in Web site: www.cswri.res.in



क्रमांक 6(446)SP/PP Mode/2023/

दिनांक : 20.06.2023

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि संस्थान के फार्म अनुभाग के अन्तर्गत संस्थान-कृषक सहभागिता के तहत विभिन्न सेक्टरों (i) ब्लॉक नं 8 (10हैक्टर), (ii) ब्लॉक नं 12 (20हैक्टर), (iii) ब्लॉक नं 19 (25हैक्टर), (iv) ब्लॉक नं 9/5 (4.5हैक्टर) (v) ब्लॉक नं 3/8 (10हैक्टर) पर चारा व फसल उत्पादन हेतु हिस्सा पद्धति के आधार पर बुवाई किया जाना है । जो किसान जिस क्षेत्र में फसल उत्पादन में सबसे अधिक दानों का हिस्सा संस्थान को देगा उसे उस क्षेत्र के लिए संस्थान-कृषक सहभागिता अनुबंध पर दिया जायेगा ।

अतः सभी किसानों/लोकल अनुबंधकर्ताओं से अनुरोध है कि कोटेशन में हिस्सादारी को प्रतिशत मात्रा में दर्शाते हुये दिनांक 27.06.2023 को प्रांत 11.00 बजे तक बन्द लिफाफे में में क्रय अनुभाग में भिजवाने का श्रम करे। साथ ही, सभी किसान/ लोकल अनुबंधकर्ता प्रक्षेत्र अनुभाग का भ्रमण कर संबंधित क्षेत्र की जानकारी फार्म अनुभाग से ले सकते है । उपरोक्त कोटेशन में दर्शायी गयी नियम एवं शर्तों की जानकारी संस्थान की वेबसाईट www.cswri.res.in पर उपलब्ध है ।

प्रभारी क्रय अनुभाग

(i)

संस्थान-कृषक सहभागिता अनुबंध प्रस्ताव-01 ब्लाक न० 8 (10 हैक्टर)

क्र०सं०	कार्य का विवरण	कार्य स्थल	क्षेत्रफल	अनुबंधकर्ता का हिस्सा	संस्थान का हिस्सा
1	संस्थान के लिये 3 हैक्टेयर भूमि पर सहतूत, सैजना, हाईब्रिड नैपियर घास/हेज लूसर्न लगा कर तैयार करवाना, सिचोई निराई-गुड़ाई करवाना देखभाल एवं रखवाली करना। 3 हैक्टेयर क्षेत्र में लगाये गये पौधों की 90 % जिवितता सुनिश्चित करनी होगी।	ब्लाक न० 8	3 हैक्टर	0 %	100 %
2	7 हैक्टेयर भूमि पर खरीफ में दलहनी फसले (मूंग चौला/मुंगफली/ग्वार इत्यादि) लगाना। फसलों बुवाई की बुवाई करना, फसलों में निराई गुड़ाई करना, फसल उत्पादन प्रक्रिया के सभी आवश्यक कार्य सही समय पर करने होंगे और उनकी देखभाल एवं रखवाली करना तथा पकने पर कटाई कर थ्रेसिंग करवाना। संस्थान के हिस्से के दाना व चारा को निर्देशित स्थान पर रखवाना होगा।	ब्लाक न० 8	7 हैक्टर	दाना 95 % चारा 0 %	दाना 5 % चारा 100 %
क्र०सं० 2 पर अनुबंधकर्ता द्वारा प्रस्तावित हिस्सा				दाना % चारा 0 %	दाना % चारा 100 %

* खेत की तैयारी, खाद-बीज, कीट-व्याधिनाशक, थ्रेशर, ट्रेक्टर इत्यादि सभी उपकरण एवं लेबर सभी अनुबंधकर्ता का होगा।

(ii)

संस्थान-कृषक सहभागिता अनुबंध प्रस्ताव-02 ब्लाक न०12 (20 हैक्टर)

क्र० सं०	कार्य स्थल/ क्षेत्रफल	कार्य का विवरण	संस्थान का हिस्सा		अनुबंधकर्ता का हिस्सा	
			दाना	चारा/ भूसा	दाना	चारा/ भूसा
1	ब्लाक न०12 20 हैक्टर ईटीओ 6 के पास	खरीफ में मूंग व चौला या अन्य दलहनी चारा फसलों बुवाई की बुवाई करना, फसलों में निराई गुड़ाई करना, फसल उत्पादन प्रक्रिया के सभी आवश्यक कार्य सही समय पर करने होंगे और उनकी देखभाल एवं रखवाली करना तथा पकने पर कटाई कर थ्रेसिंग करवाना। संस्थान के हिस्से के दाना व चारा को निर्देशित स्थान पर रखवाना होगा।	20%	100%	80%	0%
2	ब्लाक न०12 5 हैक्टर प्लांट के पीछे का एरिया	खरीफ में मूंग, मुंगफली व चौला या अन्य दलहनी चारा फसलों की बुवाई करना, फसलों में निराई गुड़ाई करना, फसल उत्पादन प्रक्रिया के सभी आवश्यक कार्य सही समय पर करने होंगे और उनकी देखभाल एवं रखवाली करना तथा पकने पर कटाई कर थ्रेसिंग करवाना संस्थान के हिस्से के दाना व चारा को निर्देशित स्थान पर रखवाना।	20%	100%	80%	0%
अनुबंधकर्ता द्वारा प्रस्तावित हिस्सा						
क्र० सं०1		%	100 %%	0 %
क्र० सं०2		%	100 %%	0 %
औसत		%	%	

* खेत की तैयारी, खाद-बीज, कीट-व्याधिनाशक, थ्रेशर, ट्रेक्टर इत्यादि सभी अनुबंधकर्ता का होगा।

(iii)

संस्थान-कृषक सहभागिता अनुबंध प्रस्ताव-03 ब्लाक न० 19 (25 हैक्टर)

क्र० सं०	कार्य स्थल / क्षेत्रफल	कार्य का विवरण	संस्थान का हिस्सा		अनुबंधकर्ता का हिस्सा	
			दाना	चारा/भूसा	दाना	चारा/भूसा
1	ब्लाक न० 19 25 हैक्टर	खरीफ में ग्वार, चौला, मूंग की फसल की बुवाई करना, फसल में निराई गुड़ाई करना, फसल उत्पादन प्रक्रिया के सभी आवश्यक कार्य सही समय पर करने होंगे और उनकी देखभाल एवं रखवाली करना तथा पकने पर कटाई कर थ्रेसिंग करवाना। संस्थान के हिस्से के दाना व चारा को निर्देशित स्थान पर रखवाना होगा।	20%	80%	80%	20%
अनुबंधकर्ता द्वारा प्रस्तावित हिस्सा		 %	80% %	20%

* खेत की तैयारी, खाद-बीज, कीट-व्याधिनाशक, थ्रेशर, ट्रेक्टर इत्यादि सभी अनुबंधकर्ता का होगा।

(iv)

संस्थान-कृषक सहभागिता अनुबंध प्रस्ताव-05 ब्लाक न० 9/5 (4.5 हैक्टर)

क्र० सं०	कार्य स्थल / क्षेत्रफल	कार्य का विवरण	संस्थान का हिस्सा		अनुबंधकर्ता का हिस्सा	
			दाना	चारा/भूसा	दाना	चारा/भूसा
1	ब्लाक न० 5/3 4.5 हैक्टर	खरीफ में बाजरा फसल की बुवाई करना, फसल में निराई गुड़ाई करना, आवश्यकता व उपलब्धता के अनुसार पानी पिलवाना और उनकी देखभाल एवं रखवाली करना तथा पकने पर कटाई व थ्रेसिंग करवाना। संस्थान के हिस्से के दाना व चारा को निर्देशित स्थान पर रखवाना होगा।	30%	30%	70%	70%
अनुबंधकर्ता द्वारा प्रस्तावित हिस्सा		%	30 %%	70 %

* खेत की तैयारी, खाद-बीज, कीट-व्याधिनाशक, थ्रेशर, ट्रेक्टर इत्यादि सभी अनुबंधकर्ता का होगा।

(v)

संस्थान-कृषक सहभागिता अनुबंध प्रस्ताव-06 ब्लाक न० 3/8 (10 हैक्टर)

क्र० सं०	कार्य स्थल / क्षेत्रफल	कार्य का विवरण	संस्थान का हिस्सा		अनुबंधकर्ता का हिस्सा	
			दाना	चारा/भूसा	दाना	चारा/भूसा
1	ब्लाक न० 3/8 10 हैक्टर	खरीफ में ग्वार, चौला, मूंग की फसल की बुवाई करना, फसल में निराई-गुड़ाई करना, फसल उत्पादन प्रक्रिया के सभी आवश्यक कार्य सही समय पर करने होंगे और उनकी देखभाल एवं रखवाली करना तथा पकने पर कटाई कर थ्रेसिंग करवाना। संस्थान के हिस्से के दाना व चारा को निर्देशित स्थान पर रखवाना होगा।	20%	80%	80%	20%
अनुबंधकर्ता द्वारा प्रस्तावित हिस्सा			80%	20%

* खेत की तैयारी, खाद-बीज, कीट-व्याधिनाशक, थ्रेशर, ट्रेक्टर इत्यादि सभी अनुबंधकर्ता का होगा।

(vi)

संस्थान-कृषक सहभागिता अनुबंध प्रस्ताव-06 ब्लाक न०12 (4 हैक्टर)

क्र० सं०	कार्य स्थल / क्षेत्रफल	कार्य का विवरण	संस्थान का हिस्सा		अनुबंधकर्ता का हिस्सा	
			दाना	चारा / भूसा	दाना	चारा / भूसा
1	ब्लाक न०12 4 हैक्टर	खरीफ में (अ) 2 हैक्टर मुगंफली फसल की बुवाई करना, फसल में निराई गुड़ाई करना, फसल उत्पादन प्रक्रिया के सभी आवश्यक कार्य सही समय पर करने होंगे और उनकी देखभाल एवं रखवाली करना तथा पकने पर कटाई कर थ्रेसिंग करवाना। संस्थान के हिस्से के दाना व चारा को निर्देशित स्थान पर रखवाना होगा।	20%	75%	80%	25%
		(ब) 2 हैक्टर ग्वार या चौला की फसल की बुवाई करना, फसल में निराई गुड़ाई करना, फसल उत्पादन प्रक्रिया के सभी आवश्यक कार्य सही समय पर करने होंगे और उनकी देखभाल एवं रखवाली करना तथा पकने पर कटाई कर थ्रेसिंग करवाना। संस्थान के हिस्से के दाना व चारा को निर्देशित स्थान पर रखवाना होगा।	25%	100%	75%	0%
		रबी में (स) 4 हैक्टर सरसों, की बुवाई करना, फसल में निराई गुड़ाई करना, फसल उत्पादन प्रक्रिया के सभी आवश्यक कार्य सही समय पर करने होंगे और उनकी देखभाल एवं रखवाली करना तथा पकने पर कटाई कर थ्रेसिंग करवाना। संस्थान के हिस्से के दाना व चारा को निर्देशित स्थान पर रखवाना होगा।	30%	0%	70%	100%
अनुबंधकर्ता द्वारा प्रस्तावित हिस्सा						
(अ)		%	75 %%	25 %
(ब)		%	100 %%	0 %
(स)		%	30%%	100 %

* खेत की तैयारी, खाद-बीज, कीट-व्याधिनाशक, थ्रेशर, ट्रेक्टर इत्यादि सभी अनुबंधकर्ता का होगा।

**खरीफ ऋतु में जो अनुबंधकर्ता संस्थान का हिस्सा दाने में अधिक देगा उसी को सफल अनुबंधकर्ता माना जाएगा जो कि रबी ऋतु में भी यथावत रहेगा। रबी ऋतु में यदि कोई अनुबंधकर्ता अधिक मात्रा में दाना देता है तो उसे वार्ता कर negotiate किया जाएगा।

कार्य करने के नियम व शर्तें

1. अनुबंध की अवधि कार्य आदेश जारी होने से एक वर्ष तक रहेगी, लेकिन कार्य की अवधि कम या अधिक भी की जा सकती है। यदि उक्त अवधि के दौरान ठेकेदार द्वारा किसी प्रकार का व्यवधान या कार्य असंतोषजनक रहा तो अनुबंध निश्चित समय अवधि से पूर्व भी समाप्त किया जा सकता है, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं ठेकेदार की होगी।
2. कोटेशन प्रपत्र में दर्शायी गई फसलों के उत्पादन हेतु फ़िल्ड को तैयार कर बुवाई हेतु ट्रेक्टर व उपकरण अनुबंधकर्ता को ही लाना होगा। साथ ही संस्थान से मैंगनी की खाद उपलब्ध हैं जिसे प्रक्षेत्र में डालने हेतु ट्रेक्टर अनुबंधकर्ता का होगा। खाद को फैलाने हेतु श्रमिक, फसल उत्पादन हेतु बीज व उर्वरक स्वयं अनुबंधकर्ता को लाना होगा। इसके लिये अनुबंधकर्ता को संस्थान-कृषक सहभागिता कार्यक्रम के तहत कृषि कार्य करने हेतु बॉण्ड पत्र भरकर देना होगा जिस पर दो गवाह के हस्ताक्षर होने चाहियें। बॉण्ड का प्रारूप विभाग द्वारा उपलब्ध करवाया जावेगा अमानत राशि रूपये 1,000=00 प्रति हैक्टर की एफडी जमा करवानी होगी।
3. मौसम की अनुकूलता/प्रतिकूलता के अनुसार आपसी सहमति से बुवाई का क्षेत्रफल घटाया बढ़ाया जा सकता है।
4. अनुबंध की अवधि के दौरान अनुबंधकर्ता को संस्थान द्वारा कोई भी उपकरण या साधन उपलब्ध नहीं करवाया जायेगा तथा सभी कार्य जैसे बीजों की बुवाई, फसलों की निराई-गुड़ाई रखवाली, पकने पर कटाई कर थ्रेसिंग करवाना इत्यादि कार्यों के लिये लगाने वाले श्रमिक अनुबंधकर्ता के होंगे। संस्थान के हिस्से के दाना व चारा को निर्देशित स्थान पर भंडारण करवाना होगा। सभी कार्य स्वयं के खर्च पर करने होंगे साथ ही कृषि कार्य में आने वाले सभी औजार अनुबंधकर्ता के स्वयं के होंगे तथा इस कार्य हेतु संस्थान द्वारा किसी भी प्रकार की वित्तीय सहायता उपलब्ध नहीं करवाई जायगी।

5. प्रक्षेत्र के उत्पाद के बँटवारे से सम्बंधित कार्य सक्षम अधिकारी महोदय द्वारा गठित समिति के द्वारा किया जावेगा जो कि अनुबंधकर्ता को मान्य होगा। संस्थान के बंटवारे/हिस्से में आने वाले दाने व चारे को प्रभारी विभाग या उनके प्रतिनिधि द्वारा बताये स्थान पर डलवाकर भंडारण करवाना होगा। इस कार्य में लगने वाले श्रमिक स्वयं अनुबंधकर्ता को लगाने होंगे।
6. प्रक्षेत्रों की पूर्ण रखवाली एवं रखरखाव की जिम्मेदारी अनुबंधकर्ता की होगी। दिन व रात्रि में फसलों की रखवाली स्वयं अनुबंधकर्ता को करनी होगी। रखवाली के दौरान बाहरी जानवरों द्वारा फसल को किसी प्रकार से नुकसान होता है तो उस नुकसान की भरपाई अनुबंधकर्ता द्वारा की जावेगी। नुकसान का आंकलन सक्षम अधिकारी महोदय द्वारा गठित समिति द्वारा किया जावेगा।
7. अनुबंध अवधि के दौरान मानसून, प्राकृतिक प्रकोप या अन्य कारणों से उत्पादन एवं अन्य कार्य प्रभावित होने पर संस्थान की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी तथा संस्थान द्वारा अनुबंधकर्ता को किसी भी प्रकार हर्जाना/क्षतिपूर्ति राशि उपलब्ध नहीं करवाई जायेगी।
8. ठेकेदार/प्रतिनिधि को बताये गये सभी कार्य समय पर पूर्ण करने होंगे। कार्य अपूर्ण या समय से पूर्व छोड़ने पर या संतोषजनक नहीं होने पर संस्थान के सक्षम अधिकारी द्वारा अनुबंध को निरस्त किया जा सकता है जिसकी समस्त जिम्मेदारी अनुबंधकर्ता की स्वयं की होगी। साथ ही भविष्य में कोई अनुबंध कार्य आवंटन नहीं किया जावेगा।
9. ठेकेदार/प्रतिनिधि द्वारा कार्य में किसी भी प्रकार की शिथिलता/गैर जिम्मेदारी/अवज्ञा की गई तो अनुबंध को निरस्त करते हुये अमानत/जमानत राशि जब्त करली जावेगी।
10. ठेकेदार/प्रतिनिधि को प्रक्षेत्र में संस्थान की सम्पत्ति को नुकसान से बचाना होगा। यदि कोई नुकसान/चोरी/क्षति पहुँचाई जाने पर अनुबंध निरस्त कर अमानत व जमानत राशि जब्त कर ली जावेगी।
11. उपरोक्त सभी कार्यों की पूर्णता तभी मान्य होगी जब प्रभारी, फार्म अनुभाग व उनके प्रतिनिधि द्वारा कार्य सन्तोषजनक पूर्णता करने का प्रमाणित करेगे उसके बाद ही बँटवारा किया जावेगा यदि कार्य दिये गये माप दण्डों के अनुसार पूर्ण नहीं किया गया तो किये गये कार्य की मात्रा के अनुसार बँटवारा किया जावेगा।
12. श्रमिकों के बारे में निर्धारित रजिस्टर/मस्टरोल आदि का रख-रखाव स्वयं ठेकेदार को करना होगा तथा लगाये गये श्रमिकों का GPF/PF/ESI इत्यादि यदि नियमानुसार देय होता है तो ठेकेदार द्वारा स्वयं को देना होगा। संस्थान द्वारा इस विषय में कोई भी अलग से भुगतान का दावा स्वीकार नहीं करेगा। इस प्रकार का निस्तारण ठेकेदार स्वयं अपने स्तर पर करेगा।
13. ठेकेदार को अनुबंध की अवधि में भारत सरकार के प्रचलित श्रमिक कानूनों का पालन करना होगा। भारत सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत समय-2 पर निर्धारित दर से भुगतान करना होगा। श्रमिक को भुगतान करने की जिम्मेदारी स्वयं ठेकेदार की होगी। यदि भुगतान से सम्बंधित किसी भी श्रमिक द्वारा कोई वाद/क्लेम प्रस्तुत करने पर माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित की गई राशि का पूर्ण भुगतान करने की जिम्मेदारी भी स्वयं ठेकेदार की होगी। साथ ही बाल श्रमिक कानून का पूर्ण पालन करना होगा।
14. ठेकेदार द्वारा जिन प्रतिनिधियों को अनुबंध कार्य हेतु नियुक्त किया जावेगा उनका परिचय-पत्र ठेकेदार द्वारा स्वयं बनाकर फोटोयुक्त परिचय-पत्र अधिकृत अधिकारी (सुरक्षा अनुभाग) से जारी करवाकर फार्म अनुभाग में प्रस्तुत करना होगा। परिचय-पत्र का व्यय स्वयं ठेकेदार को वहन करना होगा। प्रतिनिधियों को फोटो पहचान-पत्र आवश्यक होगा। साथ ही प्रतिनिधियों का नाम, पता व मोबाईल नम्बर इत्यादि प्रभारी को उपलब्ध कराना होगा।
15. अनुबंध कार्य के दौरान किसी प्रकार की दुर्घटना हो जाने पर ठेकेदार/उनके प्रतिनिधि स्वयं जिम्मेदार होंगे तथा सभी प्रकार की कानूनी कार्यवाही अपने स्तर पर स्वयं के खर्चे पर करनी होगी तथा संस्थान द्वारा किसी भी प्रकार की सहायता/क्षतिपूर्ति राशि नहीं दी जावेगी।
16. ठेकेदार द्वारा जमा करवाई गई जमानत राशि अनुबंध कार्य सन्तोषजनक पूरा होने के बाद वापिस देय होगी। यदि अनुबंध के दौरान आपका कार्य किसी भी प्रकार से असन्तोषजनक पाया गया तो आप द्वारा जमा करवाई गई जमानत राशि को जब्त कर लिया जावेगा।
17. श्रमिक नियमों के अनुसार समस्त अभिलेख ठेकेदार को तैयार कराना होगा तथा किसी भी अधिकारी द्वारा माँगने पर प्रस्तुत करना होगा।
18. सभी विवादों को निपटाने का क्षेत्राधिकार अदिकानगर, मालपुरा होगा। किसी भी प्रकार का विवाद होने की स्थिति में अन्तिम निर्णय देने का अधिकार निदेशक केन्द्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान संस्थान, अदिकानगर, तहसील मालपुरा, जिला टोंक, राजस्थान को होगा। जिसे ठेकेदार/फर्म/एजेन्सी/कम्पनी द्वारा मान्य होगा।
19. यह कार्य केवल अनुबंध की प्रकृति (संस्थान-कृषक सहभागिता कार्यक्रम के तहत) के लिये ही माना जावेगा। ठेके की अवधि व उसके उपरान्त ठेकेदार अथवा उसके प्रतिनिधि का संस्थान से कोई सम्बंध नहीं रहेगा।
20. संस्थान के सक्षम अधिकारी को बिना कोई कारण बताये किसी भी समय जारी अनुबंध आदेश को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित है।
21. ठेकेदार को 500/- रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर कार्य को अनुबंध पर करने के लिये एग्रीमेन्ट देना होगा, जिसका प्रारूप क्रय अनुभाग से प्राप्त करना होगा।

हस्ताक्षर दर दाता

दर दाता का नाम

पूरा पता

.....

.....

संलग्न :

1. पेन कार्ड/आधार कार्ड की प्रति लिपि